फा. सं. 14/4/2015-जेसीए-2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 1 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वर्दी भत्ते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समूह 'ग' श्रेणी और पूर्ववर्ती 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें वर्दी प्रदान की जाती है और जिनके लिए उसे नियमित रूप से पहनना आवश्यक होता है, को वर्दी भत्ता/धुलाई भत्ता/सिलाई प्रभार/जूता (श्) भत्ता इत्यादि की देयता के संबंध में मौजूदा आदेशों के अधिक्रमण करते हुए उन्हें 5000/- रु. प्रति वर्ष की दर से वर्दी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

2. वर्दी भत्ता/धुलाई भत्ता/सिलाई प्रभार/जूता (श्) प्रभार इत्यादि को वर्दी भत्ते में शामिल कर दिया गया है।

3. जिन श्रेणी के कर्मचारियों को पहले किसी प्रकार की वर्दी प्रदान की जा रही थी उन्हें अब से वर्दी प्रदान नहीं की जाएगी।

4. वर्दी के रख-रखाव और इसकी धुलाई से संबंधित भत्ते, वर्दी भत्ते में शामिल कर दिए गए हैं और अलग से इनका भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. वर्दी भत्ते की राशि वर्ष मे एक बार जुलाई माह में कर्मचारियों के वेतन में जोड़ दी जाएगी।

6. जैसा कि ऊपर पैरा-1 में उल्लिखित है, वर्दी भत्ते की दर 5000/- रु. प्रति वर्ष होगी। जब महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होगी तब वर्दी भत्ते की दर में हर बार 25% की वृद्धि हो जाएगी।

7. इस भत्ते में कर्मचारियों की मूल वर्दी ही शामिल है। अन्य विशेष वस्त्र संबंधित मंत्रालय द्वारा मौजूदा मापदंडों के अनुसार प्रदान किए जाते रहेंगे।

8. यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।

डी. के. सेनगुप्ता

(डी. के. सेनगुप्ता)

उप सचिव (जेसीए)

दूरभाष : 23092982

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग